

मामलों का विवरण

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम

निलोफर और ए. एन. आर

(सिविल अपील सं. 2023 का 8146) 14 दिसंबर, 2023

[बी. आर. गवई और संजय करोल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, मुकदमे में एक पक्ष और एक मुकदमे में एक गवाह के बीच एक अंतर की परिकल्पना की गई है, क्या वादी/प्रतिवादी का गवाह वाक्यांश वादी या प्रतिवादी को खुद को बाहर करता है, जब वे अपने स्वयं के मामले में गवाह के रूप में पेश होते हैं; और क्या अध्यादेश VII आर।14, आदेश VIII आर।1-ए और ऑर्ड. XIII आर।1 सी. पी. सी. पक्ष को किसी मुकदमे के पक्ष की प्रतिपरीक्षा करते समय, दूसरे पक्ष की प्रतिपरीक्षा करते समय, वाक्यांश (ओं) वादी/प्रतिवादी के गवाह या दूसरे पक्ष के गवाहों के उपयोग के आधार पर, उसके उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश देता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-एक मुकदमे में पक्षकार और एक मुकदमे में गवाह-वादी/प्रतिवादी के गवाह के बीच अंतर-यदि वादी या प्रतिवादी स्वयं को बाहर करते हैं, जब वे अपने स्वयं के मामले में गवाह के रूप में पेश होते हैं:

आयोजित किया गया:एक गवाह और एक गवाह सरलीकरणकर्ता के रूप में मुकदमे के पक्षकार के बीच कोई अंतर नहीं है-गवाह और मुकदमे के पक्षकार, साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्यों के लिए, या तो दस्तावेजी या मौखिक रूप से एक ही आधार पर होते हैं-किसी गवाह या मुकदमे के पक्षकार द्वारा किया गया कार्य जब गवाह बक्से में एक ही होता है-आदेश XVI नियम 21 में "जहां तक यह लागू होता है" वाक्यांश किए गए कार्य में अंतर का सुझाव नहीं देता है-संहिता के प्रावधान और साक्ष्य अधिनियम भी गवाह के रूप में कार्य करने वाले मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच अंतर नहीं करते हैं अन्यथा ऐसे पक्षकार द्वारा गवाही देने के लिए बुलाए गए।[पारस 32,14,20,17] 867

866

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-अध्यादेश VII आर।14, अध्यादेश VIII आर।1-ए और **Ord.r XIII** आर।1 - उपबंध यदि वादी/प्रतिवादी के गवाह या दूसरे पक्ष के गवाह वाक्यांश के उपयोग के आधार पर, विरोधी पक्ष की प्रतिपरीक्षा करते समय, किसी मुकदमे के पक्षकार की प्रतिपरीक्षा करने वाले पक्षकार को उसके प्रयोजनों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देता है:

आयोजित किया गया:मुकदमे में एक पक्ष और गवाह, जैसा भी मामला हो, दोनों के लिए दस्तावेजों को पेश करना, प्रतिपरीक्षा के चरण में, कानून के भीतर अनुमत है-दो उद्देश्यों में से किसी एक के लिए दस्तावेज पेश करने की स्वतंत्रता-गवाहों की प्रतिपरीक्षा और/या स्मृति को ताज़ा करने से मुकदमे के पक्षकारों के लिए भी इसका उद्देश्य पूरा होगा-किसी मुकदमे में किसी भी पक्ष से प्रभावी रूप से सवाल करने और जवाब प्राप्त करने से वंचित होने से, इन दस्तावेजों की सहायता से दूसरे को अपने दावे की पूरी सच्चाई को सामने रखने में सक्षम नहीं होने का खतरा होगा, जिससे उक्त कार्यवाही से घातक रूप से समझौता होगा-इस प्रकार, दस्तावेजों के उत्पादन के संदर्भ में, जब तक दस्तावेज को प्रभावी प्रतिपरीक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है या[पारस, 32,26,30]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-अध्यादेश **16** आर।**21, 14**, ऑर्ड. **XVIII r.3** ए-शब्द 'गवाह'-का अर्थ:

आयोजित किया गया:गवाह एक व्यक्ति है, या तो वादी या प्रतिवादी की ओर से, जो किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए बयान या दावे को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष पेश होता है -साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 में कहा गया है कि दीवानी मुकदमे के पक्षकार सक्षम गवाह होंगे-उपयोग किया गया शब्द गवाह है जिसका तात्पर्य है कि एक गवाह जिसे अन्यथा प्रतिवादी या स्वयं वादी के रूप में भी पेश किया जाता है, अदालत के विचार के लिए साक्ष्य दर्ज करते समय उसी आधार पर खड़ा होगा-संहिता स्वयं इस आशय की बात करती है कि जब किसी मुकदमे के पक्षकार को अदालत में गवाही देनी होती है-सावधि गवाह मुकदमे के पक्षकार या प्रतिवादी को बाहर नहीं करता है, जो स्वयं साक्ष्य दर्ज करने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं-साक्ष्य अधिनियम, 1860 -एस. 120.[पैरा 10,14,20]।

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908**-निर्देशित-मार्गदर्शक उद्देश्यों की व्याख्या।[पैरा **21**

868

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अभ्यास और प्रक्रिया-अभिवचन-किसी विशेष तर्क का अभिवचन करने की आवश्यकता:

आयोजित किया गया:जिस बात का अनुरोध नहीं किया जाता है, उस पर तर्क नहीं दिया जा सकता है-निर्णय के उद्देश्यों के लिए, दूसरे पक्ष के लिए यह जानना आवश्यक है कि मामले की रूपरेखा को पूरा करना आवश्यक है-किसी विशेष तर्क का अनुरोध करने की आवश्यकता में ऐसा करना शामिल नहीं है।[पैरा 28]

विनायक एम देसाई बनाम उल्हास एन नाइक और अन्य। 2017 एससीसीऑनलाइन

बम 8515; पुरुषोत्तम बनाम गजानन 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1176;

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम मेसर्स मंगलदास एंड संस 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 716; स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघड़ ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1808; एस. पी. चेंगिवराय नायडू बनाम जगन्नाथ (1993) 3

पूरक।एससीआर 422:(1994) 1 एससीसी 1; मिस टी. एम. मोहना बनाम वी. कन्नन

1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 145; अमित एम. पाठकजी, सीनियर। प्रबंधक (मशीन) & अन्न बनाम भावनाबेन अमितकुमार पाठकजी 2007 एससी ऑनलाइन गुज 78; सदयप्पन बनाम राज्य (2019) 9 एससीसी 257; राम सरूप गुप्ता बनाम बिशुन

नारायण इंटर कॉलेज [1987] 2 एससीआर 805:(1987) 2 एस. सी. सी. 555; उद्धव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया [1976] 2 एस. सी. आर. 246:(1977) 1 एस. सी. सी. 511-संदर्भित।

जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड 1957 2 क्यू. बी. 55-संदर्भित।पी. रामनाथ अय्यर का उन्नत कानून शब्दकोश-संदर्भित।अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, दूसरा संस्करण, 2007; कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम:रिपोर्ट किए गए मामलों और विधान से व्युत्पन्न अमेरिकी कानून का एक समकालीन बयान; ब्लैक, 7 वीं संस्करण, 1999-संदर्भित

को।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 8146।

2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 7717 में नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 09.02.2021 से।

869

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

रूप:

हुजेफा अहमदी, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मसूद शरीफ, सत्यजीत ए देसाई, युगांत ढिल्लों, सिद्धार्थ गौतम, अभिनव के. मुत्यालवार, गजानन एन. तीर्थकर, विजय राज सिंह चौहान, सुश्री ऐश्वर्या शिंदे, सुश्री अनघा एस. देसाई, सुधांशु एस. चौधरी, वात्सल्य विज्ञान, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।डॉ. आर. एस. सुंदरम, पी. एन. गुप्ता, रामास्वामी सुंदरम, श्रीमती भारती गुप्ता, सुश्री आशिमा गुप्ता, नरेश कौशिक, मनोज जोशी, आनंद सिंह, शुभम द्विवेदी, सुश्री शिखा जॉन, सुश्री ललिता

कौशिक, सुश्री अक्षता सिंह, राहुल शर्मा, वर्धमान कौशिक, सोमनाथ पधन, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्याय

संजय करोल, जे।

छुट्टी मंजूर की गई।

2. इस अपील पर निर्णय लेने में, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हर मुकदमा सच्चाई की खोज है। इस उद्देश्य को अमेरिकी न्यायशास्त्र, द्वितीय संस्करण, 2007 में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में दर्शाया गया है:

“मुकदमे का उद्देश्य आरोपों की वैधता का निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य मुकदमे के पक्षों के बीच न्याय का एक निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करना है न कि त्रुटियों से पूरी तरह से मुक्त सुनवाई की उपलब्धि। एक बार दीवानी कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद और वाद पर मुद्दा जुड़ जाने के बाद, निर्णय देने से पहले इस मुद्दे पर मुकदमा होना चाहिए।

मुकदमा वकीलों के बीच एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि उन तथ्यों की प्रस्तुति है जिन पर पक्षों के बीच मुद्दों को हल करने और उनके अधिकारों को निर्धारित करने के लिए कानून लागू किया जा सकता है। यह एक खेल भी नहीं है; यह सच्चाई की जांच है, जिसमें आम जनता की रुचि है।” दीवानी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने के उद्देश्यों का उल्लेख करना भी उपयोगी होगा। इंग्लैंड का हैल्सबरी का कानून सिविल प्रक्रिया नियमों के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को बताता है:

870

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

- ((i) यह सुनिश्चित करना कि दोनों पक्ष समान स्तर पर हैं; (ii) खर्च की बचत;
- ((iii) मामले से उन तरीकों से निपटना जो आनुपातिक हैं: ((क) शामिल धन की राशि के लिए;
- ((ख) मामले के महत्व के बारे में;
- ((ग) मुद्दों की जटिलता के लिए और (घ) प्रत्येक पक्ष की वित्तीय स्थिति के लिए;
- ((iv) यह सुनिश्चित करना कि इससे शीघ्रता से और निष्पक्षता से निपटा जाए; और

(v) अन्य मामलों को संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे न्यायालय के संसाधनों का एक उचित हिस्सा आवंटित करना; और (vi) नियमों, व्यवहार निर्देशों और आदेशों के अनुपालन को लागू करना। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में अदालत की मदद करें।

निस्संदेह, शायद निर्विवाद रूप से, वही उद्देश्य सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की व्याख्या का मार्गदर्शन करते हैं।

3. सत्य की इस खोज में, इन नियमों को रखते हुए या हमारे देश के मामले में, संहिता, उच्चतम सम्मान में, एक न्यायाधीश की भूमिका पर, हमें जोन्स बनाम राष्ट्रीय कोयला बोर्ड 1 में लॉर्ड डेनिंग की टिप्पणियों से लाभ हो सकता है जहां उनके लॉर्डशिप ने टिप्पणी की:

“इस सब में न्यायाधीश की भूमिका साक्ष्य को सुनना है, केवल स्वयं गवाहों के प्रश्न पूछना है जब किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो जिसे अनदेखा कर दिया गया है या अस्पष्ट छोड़ दिया गया है; यह देखने के लिए कि अधिवक्ता स्वयं स्पष्ट रूप से व्यवहार करते हैं और कानून द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, अपरिवर्तनीयताओं को बाहर करने और प्रतिष्ठा को हतोत्साहित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बुद्धिमान हस्तक्षेप का पालन करता है, जो बिंदु अधिवक्ता बना रहे हैं और उनका मौखिक मूल्यांकन करता है, और अंत में अपना मन बनाना है कि सच्चाई कहाँ है। यदि वह इससे आगे जाता है तो वह एक न्यायाधीश के दिमाग को गिरा देता है और एक वकील का वस्त्र धारण करता है, और परिवर्तन उसका कुआँ नहीं बन जाता है।

1 1957 2 क्यू. बी. 55 871

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

द कनफ्लिक्ट

4. यह अपील बॉम्बे 2 (नागपुर पीठ) में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले पर आपत्ति उठाती है, जिसके द्वारा खंड पीठ ने दो कथित रूप से परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए उस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए तीन प्रश्नों का उत्तर दिया था। विनायक

एम देसाई बनाम उल्हास एन नाइक और अन्य। **3** और पुरुषोत्तम बनाम गजानन **4**.

5. पुरुषोत्तम (उपर्युक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी: “8. इसलिए, मेरी राय में, जब तक 1997 की रिट याचिका संख्या 869 में निर्णय और आदेश लागू है और स्वीकार किया जाता है कि इसे चुनौती नहीं दी गई है

दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा, निचली अदालत के लिए मूल प्रतिवादी यानी याचिकाकर्ता का सामना करने के लिए दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति देने के लिए खुला नहीं था। पक्ष के गवाहों का सामना करने के लिए पेश करने की अनुमति दी जाती है या नहीं, यह अलग बात है। यह न्यायालय इच्छुक नहीं है

उक्त पहलुओं के बारे में कोई भी राय व्यक्त करने के लिए और पक्षकारों के लिए इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 1997 की रिट याचिका संख्या 869 में निष्कर्ष निकाला गया है, प्रतिवादी यानी याचिकाकर्ता को जिरह के दौरान दस्तावेजों को प्रस्तुत करके वादी द्वारा सामना नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया) 5.1 विनायक एम. देसाई (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा: “17. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के संदर्भ में साक्ष्य का अर्थ है और इसमें वे सभी कथन शामिल हैं जिन्हें न्यायालय जांच के तहत तथ्य के मामलों के संबंध में गवाहों द्वारा उसके समक्ष रखने की अनुमति देता है या करने की आवश्यकता होती है; ऐसे बयानों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है और न्यायालयों के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 118 उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान करती है जो गवाही दे सकते हैं और पढ़ते हैं कि सभी व्यक्तियों को गवाही देने के लिए सक्षम होना चाहिए जब तक कि अदालत यह नहीं मानती है कि उन्हें उनके सामने रखे गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से रोका जाता है।

2 डब्ल्यूपी सं. 7717/2019 & 6931/2019; (इसके बाद, विवादित निर्णय) 3 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 8515
4 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1176 872

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

वृद्धावस्था, रोग, चाहे शरीर का हो या मन का, या इसी तरह का कोई अन्य कारण। धारा 120 में प्रावधान है कि दीवानी मुकदमे के पक्षकार और आपराधिक मुकदमे के तहत व्यक्ति की उनकी पत्नियां या पति या पति या पत्नी सक्षम गवाह होंगे, जबकि धारा 137 उस पक्षकार द्वारा गवाह की मुख्य परीक्षा से संबंधित है जो उसे अपनी जांच के लिए बुलाता है, प्रतिकूल पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षा और पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षा के बाद पुनः परीक्षा की जाती है।

जिसने उसे बुलाया। हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम के इन प्रासंगिक प्रावधानों की चर्चा निस्संदेह प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री पंगम के इस तर्क की पुष्टि करती है कि यदि कोई पक्ष गवाह नहीं है, तो यह एक विनाशकारी व्याख्या की ओर ले जाएगी और इस हद तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा **137** किसी पक्ष पर लागू नहीं हो सकती है और जो परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य को विफल कर सकती है। फिर भी, इस मुद्दे पर चर्चा विशुद्ध रूप से अकादमिक है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII**, नियम **14**, आदेश **VIII**, नियम **1** और आदेश **XIII**, नियम **1** पर कानून को देख रही है। इसके अलावा, यदि श्री पंगम द्वारा प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आदेश **VII**, आदेश **VIII** और आदेश **XIII** के प्रावधानों को निरर्थक बना दिया जाएगा और जैसा कि लक्ष्मीकांत सिनाई लोटलेकर (ऊपर) में देखा गया है। इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VIII**, नियम **1** और आदेश **XIII**, नियम **1 (3) (ए)** के अधिदेश के विपरीत

याचिकाकर्ता-वादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करने के लिए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि में था। प्रत्यर्थियों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VIII**, नियम **1** में निहित जनादेश का पालन करना था और वादी की प्रतिपरीक्षा के दौरान सीधे ऐसे दस्तावेज पेश करने की मांग नहीं कर सकते थे, जिन पर उन्हें अन्यथा कानून द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची में भरोसा करना पड़ता था। विद्वान विचारण न्यायालय

इसलिए एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि हुई और इसलिए विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”

(जोर दिया गया) 2.2 एक ओर मुकदमे में पक्षकार और गवाह के बीच मतभेद, यदि कोई हो, के मुद्दे पर उपरोक्त दो निर्णयों के बीच एक स्पष्ट टकराव का पता लगाना और इस संबंध में भी कि 873 के चरण में सीधे दस्तावेज पेश करने की अनुमति कब हो सकती है।

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

में एक समन्वय पीठ के एक अन्य निर्णय की तुलना में प्रतिपरीक्षा

अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम मेसर्स मंगलदास एंड संस **5**,

विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: “9. विनायक एम. देसाई (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के उपरोक्त उद्धृत भाग के अवलोकन से पता चलता है कि इस आशय का अवलोकन किया गया था कि यदि कोई पक्ष गवाह नहीं होता है तो यह इस हद तक विनाशकारी व्याख्या की ओर ले जाएगा कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 भी किसी पक्ष पर लागू नहीं हो सकती है, जो परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य को विफल कर सकती है। यह अवलोकन पुरुषोत्तम पुत्र शंकर घोडेगांवकर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के उपरोक्त उद्धृत भाग में की गई टिप्पणियों के सीधे विपरीत है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि किसी मुकदमे के पक्षकार को एक गवाह के बराबर नहीं माना जा सकता है और उस पर आश्चर्यचकित करके दस्तावेजों का सामना नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब दस्तावेजों को दस्तावेजों की सूची के साथ नहीं किया गया था। इस प्रकार, उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों के उपरोक्त दो निर्णयों में विचारों का एक स्पष्ट विभाजन है अर्थात् क्या कोई “पक्ष” भी एक “गवाह” है।

...

17. जहां तक विचार के लिए उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दे का संबंध है, तो एक ओर पुरुषोत्तम पुत्र शंकर घोडेगांवकर (ऊपर) और विनायक एम. देसाई (ऊपर) के मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीशों के निर्णयों के उपरोक्त उद्धृत भागों में की गई टिप्पणियों में और दूसरी ओर अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों में सीधा टकराव प्रतीत होता है। जबकि पुरुषोत्तम पुत्र शंकर घोडेगांवकर (ऊपर) और विनायक एम. देसाई (ऊपर) के मामलों में निर्णयों में, इस न्यायालय के विद्वान

एकल न्यायाधीशों ने निर्धारित किया है कि किसी गवाह का सामना करने के लिए प्रतिपरीक्षा के चरण में दस्तावेजों को सीधे पेश नहीं किया जा सकता है ताकि उस पर आश्चर्य हो, अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना है कि आदेश VIII के नियम 1-ए में 'इस नियम में कुछ भी नहीं' शब्दों का उपयोग किया गया है।

5 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 716

874

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सी. पी. सी. प्रदर्शित करता है कि एक दस्तावेज को सीधे प्रतिपरीक्षा के चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिपरीक्षा की क्षमता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए गवाह को पहले से इस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

18. सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 14, आदेश VIII नियम 1-ए (4) और आदेश XIII नियम 1 (3) के उपर्युक्त प्रावधान को देखने के बाद, मेरी राय में, इस नियम/उप-नियम में 'कुछ नहीं' शब्दों का उपयोग इंगित करता है कि दस्तावेज निश्चित रूप से किसी पक्ष या गवाह की प्रतिपरीक्षा के चरण में सीधे प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि उसका सामना किया जा सके और यह कि पक्ष या गवाह की प्रभावी प्रतिपरीक्षा के लिए यह आवश्यक होगा। लेकिन, पुरुषोत्तम पुत्र शंकर घोडेगांवकर (उपरोक्त) और विनायक एम. देसाई (उपरोक्त) के मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियाँ एक विपरीत दृष्टिकोण रखती प्रतीत होती हैं और इसलिए, उक्त मुद्दे के संदर्भ में भी विचारों का टकराव प्रतीत होता है।”

(जोर दिया गया) 5.3 वहां से न्यायाधीश ने तीन प्रश्न तैयार किए और उन्हें उत्तर देने के लिए भेजा। वर्तमान अपील की विषय वस्तु, विद्वत खंड पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके संबंधित निष्कर्ष निम्नानुसार निकाले गए हैं:-

“40. इसलिए हम संदर्भ के तहत प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार देते हैं:

1	चाहे किसी वाद का पक्षकार अर्थात् वादी/या प्रतिवादी भी गवाह हो और सिविल	मुकदमे के पक्षकार (वादी/प्रतिवादी) की तुलना गवाह से नहीं की जा सकती है। आदेश VII,
---	--	--

	प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 14, आदेश VIII, नियम 1-ए (4) (ए) और आदेश XIII, नियम 1 (3) (ए) के प्रावधानों की व्याख्या और "पक्ष" को "गवाह" के साथ जोड़कर लागू करने की आवश्यकता है।	नियम 14 (4), आदेश VIII, नियम 1-ए (4) के प्रावधान जिसमें नियम 1-ए (4) (ए) और आदेश XIII, नियम 1 (3) शामिल हैं, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 1 (3) (ए) शामिल है, उस पक्ष पर लागू नहीं होते हैं, जो अपने स्वयं के कारण में साक्ष्य देने के लिए गवाह बॉक्स में प्रवेश करता है। प्रावधान केवल एक गवाह पर लागू होते हैं।
--	--	---

— 875

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

2	क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 14 (4), आदेश VIII, नियम	आदेश VII, नियम 14 (4); आदेश VIII, नियम 1-ए (4) और आदेश XIII, सिविल
---	--	---

	1 (ए) (4) (ए) और आदेश XIII, नियम 1 (3) (ए) के तहत अदालत से कोई पूर्व अनुमति लिए बिना किसी पक्ष और/या गवाह से जिरह के चरण में दस्तावेजों को सीधे पेश किया जाना चाहिए?	प्रक्रिया संहिता के नियम 3 के तहत अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गवाह (जो मुकदमे में पक्षकार नहीं है) की प्रतिपरीक्षा के चरण में दस्तावेजों को सीधे पेश किया जा सकता है।
3	क्या पुरुषोत्तम पुत्र शंकर घोडगांवकर (ऊपर) और विनायक एम. देसाई (ऊपर) के मामलों में निर्णय में की गई टिप्पणियों से यह प्रभाव पड़ता है कि किसी गवाह और/या मुकदमे में किसी पक्षकार की जिरह के चरण में सीधे दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति देना आश्चर्यचकित करने के बराबर होगा और इसलिए, यह अस्वीकार्य है, उपरोक्त प्रावधानों के स्पष्ट पठन के आलोक में सही है और यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो इससे गवाह और/या पक्षकार की जिरह की प्रभावशीलता कम हो जाएगी?	चूँकि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी पक्ष को VII, नियम 14 (4); आदेश VIII, नियम 1-ए (4) और आदेश XIII, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 के प्रावधानों को लागू करने के मामले में एक गवाह के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है, इसलिए पुरुषोत्तम एस/ओ शंकर घोडगांवकर (ऊपर) और विनायक एम. देसाई (ऊपर) में की गई टिप्पणियाँ सही हैं और इससे गवाह की जिरह के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता है। भले ही गवाह मुकदमे में एक पक्षकार था, लेकिन जो माना

	गया है वह एन पी यू आर यू एस होट ए एम एस/ओ एस एच ए एन के ए आर घोडगांवकर (सुप्रा) और विनायक एम. देसाई (सुप्रा) के लिए समान रूप से अच्छा होगा।
--	--

उच्च न्यायालय के कारण का पता लगाना

6. उच्च न्यायालय ने साठ से अधिक पृष्ठों का एक विस्तृत निर्णय दिया। उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क था:

- 876

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

6.1. प्रश्न 1 के लिए एक मुकदमे के पक्षकार और एक गवाह के बीच अलग-अलग त्रुटियों की पहचान की गई है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता 6 एक दूसरे के विपरीत 'पक्षकार' और 'गवाह' अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है।" इसके अलावा, यह देखा गया कि एक गवाह की भूमिका एक मुकदमे के पक्षकार के लिए अलग और विशिष्ट है। यह देखा गया कि केवल इसलिए कि आदेश XVI नियम 21 में कहा गया है कि गवाहों से संबंधित नियम बुलाए गए पक्षों पर भी लागू होंगे, दोनों की बराबरी नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया है कि वाक्यांश 'उस पक्ष द्वारा जो उसे बुलाता है' स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस धारा के तहत बुलाया गया व्यक्ति मामले के पक्ष के अलावा अन्य है। इसके बाद यह माना जाता है कि कानून का एक सादा अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि एक पक्ष को एक गवाह के बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनके चरित्र अलग-अलग हैं।

6.2 प्रश्न 2 के लिए - 'प्रतिवादी का गवाह' और 'वादी का गवाह' वाक्यांश के उपयोग का अर्थ है मुकदमे में उन पक्षों के अलावा अन्य व्यक्ति, और इसलिए, प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का दस्तावेज के साथ सामना करने के लिए न्यायालय से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आश्चर्य का तत्व समाप्त हो जाएगा। आदेश VII नियम 14 उप-नियम (4), आदेश VIII नियम 1-ए (4) (ए) और सी. पी. सी. के आदेश XIII नियम 1 (3) के साथ-साथ अन्य के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया कि विधायिका ने दूसरे पक्ष के गवाहों से जिरह के लिए प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के प्रति एक अपवाद बनाया है ताकि ऐसे व्यक्ति को "अनजान" पकड़कर गवाहों के टकराव की अनुमति दी जा सके ताकि "सच्चाई को रिकॉर्ड पर लाया जा सके"। यह अंतर "सचेत, जानबूझकर और जानबूझकर" है, इस तथ्य से अधिक स्पष्ट है कि यह अपवाद संहिता में तीन बार दिखाई देता है।

6.3 प्रश्न 3 के लिए-विनायक एम देसाई और पुरुषोत्तम (उपरोक्त) दोनों में एक ऐसी स्थिति जहां एक पक्ष की प्रतिपरीक्षा के समय एक दस्तावेज पेश करने की मांग की गई थी, जो अपने मामले में एक गवाह था, उस पर विचार किया गया था न कि पक्षकारों द्वारा बुलाए गए या बुलाए गए गवाह की प्रतिपरीक्षा के दौरान। यही कारण है कि जिरह के इस चरण में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अस्वीकार्य माना गया था क्योंकि यह एक आश्चर्य की बात होगी जो संहिता के प्रावधानों के तहत अस्वीकार्य है। इसलिए, दोनों निर्णय कानून में सही दृष्टिकोण रखते हैं।

6 इसके बाद सी. पी. सी. 877

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जिन प्रश्नों पर हमें निर्णय लेने के लिए कहा गया है, वे हैं:-

क) क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, मुकदमे के पक्षकार और मुकदमे में गवाह के बीच अंतर की परिकल्पना की गई है? दूसरे शब्दों में, क्या वादी/प्रतिवादी का गवाह वाक्यांश वादी या प्रतिवादी को खुद को बाहर करता है, जब वे अपने स्वयं के मामले में गवाह के रूप में पेश होते हैं?

ख) क्या कानून के तहत, और अधिक विशिष्ट रूप से, आदेश VII नियम 14; आदेश VIII नियम 1-ए; आदेश XIII नियम 1 आदि, पक्ष को किसी पक्ष की प्रतिपरीक्षा करते समय, दूसरे पक्ष की प्रतिपरीक्षा करते समय, वाक्यांश (ओं) वादी/प्रतिवादी के गवाह या दूसरे पक्ष के गवाहों के उपयोग के आधार पर, उसके उद्देश्यों के लिए दस्तावेज पेश करने से किसी पक्ष की प्रतिपरीक्षा करने का आदेश देता है?

दलों की प्रस्तुतियाँ

8. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा अहमदी ने निम्नलिखित दलीलें दीं:-

(i) उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सी. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों जैसे आदेश VII नियम 14 (4), आदेश VI नियम 21, आदेश VIII नियम 1 (ए) (4) (ए) (बी) आदि का उल्लंघन है। इसलिए विधायिका ने जानबूझकर एक अपवाद बनाया है। (ii) "वादी के गवाह" पद का उपयोग वादी को इस नियम से बाहर करने के लिए नहीं किया गया है और इसके बजाय याचिकाकर्ता के कहने पर पेश किए गए सभी गवाहों पर लागू होने का इरादा है जिसमें वह भी शामिल हो सकता है।

(iii) इसमें आक्षेपित निर्णय, यह गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि उप-नियम (1) से (3) के अनुसार, केवल उन दस्तावेजों के विपरीत सभी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षा में उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, जिन पर शिकायत में भरोसा किया गया है, जब तक कि एफ. आई. पहले नहीं किया जाता है।

((iv) इसके अलावा, आदेश VIII नियम 1 का संदर्भ दिया जाता है जो दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का सामान्य नियम है और 878 के तहत वहां उत्कीर्ण अपवाद है।

[2023] 15 एस सी आर।

उप नियम 3 में कहा गया है कि पूर्व प्रस्तुति का नियम उपरोक्त दो उदाहरणों के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा।

(v) आदेश VI नियम 21 उच्च न्यायालय के उस तर्क को नकारता है जिसके तहत उसने एक पक्ष और एक गवाह के बीच अंतर को अपनाया है।(vi) इस तरह का भेद मूल कानून अर्थात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का भी उल्लंघन है, जो गवाह और गवाह सरलीकरण की भूमिका निभाने वाले पक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता है। धारा 120, 137 और 155-160 का संदर्भ दिया गया है।

(vii) उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत का परिणाम प्रभावी प्रतिपरीक्षा की संभावना को समाप्त करना होगा क्योंकि यह पक्ष में किसी गवाह को आश्चर्यचकित करने या उसका सामना करने की क्षमता को छीन लेता है और इसके बजाय यह पक्षकारों को पूरी तरह से अभिवचनों में अपनी दलीलें, बचाव और साक्ष्य का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के बराबर है जो बदले में, अभिवचन के मौलिक नियम के खिलाफ जा सकता है जो केवल उसमें भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए, मद्रास, गुजरात, केरल, दिल्ली और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का संदर्भ दिया जाता है। 9. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. आर. एस. सुंदरम ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:-

(i) सी. पी. सी. के आदेश I से XX तक ने एक पक्ष को वादी और प्रतिवादी के रूप में विशिष्ट शब्दों में अवहेलना की है। एक गवाह, इसके विपरीत, पक्षों द्वारा निर्धारित एक विशेष याचिका का समर्थन करने और/या साबित करने के लिए होता है।

(ii) "जहां तक लागू हो" वाक्यांश जैसा कि आदेश XVI नियम 21 में दिखाई देता है, एक पक्ष के आचरण को नियंत्रित करता है जब वह एक गवाह के रूप में गवाही देता है। इस वाक्यांश का जब संहिता के अन्य प्रावधानों द्वारा दिए गए प्रकाश में अर्थ लगाया जाता है तो पक्षकारों और गवाह के बीच एक स्पष्ट अंतर निर्धारित होता है। आदेश VII नियम 14 (4), आदेश 8 नियम 1 (ए), (4) (ए) और आदेश XIII नियम 1 (3) का संदर्भ दिया गया है।

(iii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश XIII नियम 1 (3) स्पष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है और अपीलार्थी द्वारा तर्क दिए जाने के अनुसार व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। खंड सुझाव देता है कि दस्तावेज को पेश किया जा सकता है और इसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए एक गवाह के सामने रखा जा सकता है और शब्दों को किसी भी तरह से मुकदमे के पक्षों को शामिल करने का सुझाव नहीं दिया जा सकता है।

(iv) किसी पक्ष से जिरह किए जाने के विरुद्ध आश्चर्य का तत्व संहिता के तहत अनुपस्थित है। विभिन्न प्रावधानों में यह अनिवार्य किया गया है कि कोई भी दस्तावेज जिस पर मुकदमा निर्भर करता है या बचाव पक्ष निर्भर करता है, पहले उदाहरण में प्रस्तुत किया जाए। आदेश VI नियम 9 का संदर्भ दिया गया है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की सामग्री सामग्री हो और अभिवचनों में बताई जाए, जिससे स्पष्ट रूप से आश्चर्य के तत्वों को नकार दिया जाए। (v) "वादी का गवाह और प्रतिवादी का गवाह" अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट हैं और इसलिए शाब्दिक अर्थ, जैसा कि स्पष्ट है, उन्हें दिया जाना चाहिए।

(vi) ऊपर वर्णित विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने संदर्भित अदालत द्वारा बनाए गए तीन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्याख्या के सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया है।

न्यायालय की राय

10. मुकदमे का एक पक्ष वह होता है जिसकी ओर से या जिसके खिलाफ अदालत में कार्यवाही की गई हो। एक गवाह एक व्यक्ति है, या तो वादी या प्रतिवादी की ओर से, जो किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए बयान या दावे को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष पेश होता है। न तो 'मुकदमे में पक्षकार' वाक्यांश और न ही 'गवाह' को सी. पी. सी. या पुस्तकों पर किसी अन्य कानून के तहत अवहेलना की गई है। लेकिन इस मुद्दे पर, राज्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघड़ **7** के तहत आयोजित -

“...“गवाह होने का अर्थ है मौखिक बयानों या लिखित बयानों के माध्यम से प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है जिसे अदालत को सूचित किया जाना है या जांच या जांच करने वाले व्यक्ति को। एक व्यक्ति को तथ्यों की एक निश्चित स्थिति का "गवाह" कहा जाता है, जिसे किसी निर्णय पर आने के लिए अधिकृत अदालत या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना होता है, जो उसने देखा है, या कुछ ऐसा जो उसने सुना है जिसकी गवाही देने में सक्षम है और जो सुनी-सुनाई बातों को छोड़कर नियम से प्रभावित नहीं होता है, या विवादग्रस्त मामलों के संबंध में एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय देता है।

पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन द्वारा घोषित एक 'गवाह' निम्नानुसार है:-

7 ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1808 880

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“जो कुछ देखता है, जानता है या पुष्टि करता है (दुर्घटना का गवाह)। (1) व्यक्तिगत रूप से, (2) मौखिक या लिखित बयान द्वारा, या (3) एफ़ी दावित द्वारा (अभियोजन पक्ष ने अपना अगला गवाह बुलाया)। (ब्लैक, 7 वीं संस्करण, 1999)

“अपने सख्त कानूनी अर्थों में 'गवाह' * शब्द का अर्थ है वह जो न्यायालय के समक्ष एक कारण में साक्ष्य देता है और इसके सामान्य अर्थों में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिनके होंठों से गवाही निकाली जाती है ताकि किसी भी न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किया जा सके, और इसलिए इसमें प्रतिनिधि और पक्षकार शामिल हैं और साथ ही साथ अदालत या जूरी के समक्ष मौखिक गवाही देने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।”

11. उच्च न्यायालय ने अपने सुविचारित दृष्टिकोण में कहा कि किसी पक्ष को गवाह के बराबर नहीं माना जा सकता है। विवादित फैसले में यह दर्ज किया गया है कि सी. पी. सी. के विभिन्न प्रावधान मुकदमे में एक पक्ष और एक गवाह के बीच अंतर को विश्वास दिलाते हैं।

12. इस अदालत के समक्ष अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया कि "वादी के गवाहों" और "प्रतिवादी के गवाहों" को नियुक्त करते हुए संहिता की वाक्यांश-रचना मुकदमे के पक्षों और उनके कहने पर पेश किए गए गवाह के बीच एक स्पष्ट अंतर का सुझाव देती है-और प्रस्तुत करेगी कि किसी भी अस्पष्टता के अभाव में, व्याख्या के शाब्दिक नियम का पालन करने की आवश्यकता होगी।

13. इस समझ का, हमारे विचार में, तात्पर्य है कि कानून एक पक्ष को एक मुकदमे के लिए और एक गवाह को एक वाद के लिए जलरोधक डिब्बों में रखता है और यह कि एक वादी/प्रतिवादी, अपने स्वयं के कारण की गवाही देते समय भी गवाह बॉक्स में होने के बावजूद गवाह नहीं हैं और उनके कहने पर अदालत के समक्ष किसी भी अन्य गवाह के समान प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अधीन हैं।

14. यह भिन्नता संदिग्ध प्रतीत होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 120 का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि दीवानी मुकदमे के पक्षकार सक्षम गवाह होंगे। इसमें लिखा है:-

“120. दीवानी मुकदमे के पक्षकार, और उनकी पत्नियाँ या पति।

आपराधिक मुकदमे के तहत व्यक्ति का पति या पत्नी।- सभी दीवानी कार्यवाही में मुकदमे के पक्षकार और मुकदमे के किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम गवाह होंगे। अपराधी में

*कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम: रिपोर्ट किए गए मामलों और विधान से व्युत्पन्न अमेरिकी कानून का एक समकालीन बयान। पश्चिम, 1994।

881

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी, क्रमशः एक सक्षम गवाह होगा।”

उपयोग किया गया शब्द गवाह है-जिसका तात्पर्य है कि एक गवाह जिसे अन्यथा प्रतिवादी या स्वयं वादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अदालत के विचार के लिए साक्ष्य दर्ज करते समय उसी आधार पर खड़ा होगा। संहिता स्वयं इस बात की बात करती है कि जब किसी मुकदमे के पक्ष को

अदालत में गवाही देनी होती है। आदेश XVI नियम 21 को ध्यान में रखा जा सकता है जो निम्नानुसार है:-

“21. बुलाए गए पक्षों को आवेदन करने के लिए गवाहों के बारे में नियम।-जहाँ किसी वाद के किसी पक्ष को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, वहाँ गवाहों के बारे में प्रावधान उस पर लागू होंगे जहाँ तक वे लागू होते हैं।

इसके अलावा, आदेश XVI नियम 14, जैसा कि यहाँ निकाला गया है, पर ध्यान दिया जाता है। “14. अदालत अपनी मर्जी से गवाह के रूप में अजनबियों को मुकदमा करने के लिए बुला सकती है।— उपस्थिति और उपस्थिति के बारे में इस संहिता के प्रावधानों और उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन, जहाँ

अदालत किसी भी समय [मुकदमे के एक पक्ष सहित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करना] आवश्यक समझती है और किसी पक्ष द्वारा गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है।

वाद के पक्षकार, न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए, या उसके कब्जे में कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, नियुक्त किए जाने वाले दिन गवाह के रूप में बुलाए जाने का कारण बन सकता है, और उसे गवाह के रूप में जाँच कर सकता है या उससे ऐसा दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकता है।”

(जोर दिया गया) उपरोक्त प्रावधान के संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्ष 1976 में संहिता में संशोधन से पहले, यह धारा “एक पक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए लागू थी” 8 स्पष्ट बहिष्करण को संशोधित किया गया है, ताकि इसे ‘गवाह’ शब्द के भीतर एक स्पष्ट समावेश में बदल दिया जा सके। हम आदेश XVIII नियम 3 ए का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि जब किसी मुकदमे का कोई पक्ष गवाह के रूप में पेश होना चाहता है, तो उसे अन्य गवाहों से पहले ऐसा करना होता है। इस खंड में लिखा है:-

8 सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 882

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

3-ए. अन्य गवाहों के सामने पेश होने के लिए पक्षकार।—जहाँ कोई पक्ष स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होना चाहता है, वह अपनी ओर से किसी अन्य गवाह के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उसे बाद के चरण में अपने स्वयं के गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है। संविधान पीठ के उपरोक्त संदर्भित निर्णय में सी. जे. आई. बी. पी. सिन्हा (बहुमत की राय) द्वारा बनाए गए प्रासंगिक सिद्धांत भी एक गवाह के दायरे की समझ प्राप्त करने में उपदेशक हो सकते हैं। पैरा 16 में यह देखा गया था:-

“

(3) “गवाह होना अपने व्यापक अर्थ में "साक्ष्य प्रस्तुत करने" के बराबर नहीं है; अर्थात्, जिसमें न केवल मौखिक या लिखित बयान देना शामिल है, बल्कि दस्तावेजों का उत्पादन या ऐसी सामग्री देना भी शामिल है जो अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करने के लिए मुकदमे में प्रासंगिक हो सकती है।

(4) अंगूठे की छाप या पैर या हथेली या फिंगर या नमूना लेखन की छाप देना या पहचान के माध्यम से शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाना "गवाह बनना" अभिव्यक्ति में शामिल नहीं हैं।

(5) “गवाह होने का अर्थ है मौखिक बयान या लिखित में, अदालत में या अन्यथा दिए गए बयान द्वारा प्रासंगिक तथ्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करना।

(6) “अपने सामान्य व्याकरणिक अर्थों में गवाह होने का अर्थ है अदालत में मौखिक गवाही देना। मामला कानून उस अभिव्यक्ति की इस सख्त शाब्दिक व्याख्या से परे चला गया है जिसका अब व्यापक अर्थ हो सकता है, अर्थात् अदालत में या अदालत के बाहर मौखिक या लिखित रूप से किसी व्यक्ति द्वारा गवाही देना।”

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि गवाह और मुकदमे के पक्षकार, साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्यों के लिए, या तो दस्तावेजी या मौखिक रूप से एक ही आधार पर हैं। उपरोक्त चर्चा, मुकदमे की कार्यवाही में एक गवाह और एक गवाह सरलीकरणकर्ता के रूप में कार्य करने वाले पक्षकार के बीच मतभेद की कमी पर जोर देती है। इन प्रावधानों की उपस्थिति से यह भी सवाल पैदा होता है कि यदि विधायिका का इरादा गवाह के रूप में मुकदमे के पक्षकार और एक गवाह के बीच मतभेद पैदा करने का होता, तो वह ऐसा स्पष्ट रूप से करती।

883

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

इस पर हम केवल उस पर प्रकाश डाल सकते हैं जिसका उच्च न्यायालय को अवलोकन करना था: “केवल इसलिए कि आदेश XVI नियम 21 में यह प्रावधान है कि गवाहों के बारे में नियम बुलाए गए पक्षों पर लागू होते हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि पक्षकार की तुलना गवाह के साथ की जा रही है। नियम केवल एक पक्ष के आचरण को विनियमित करने के लिए लागू होता है जब वह अपने स्वयं के कारण से गवाह बॉक्स में प्रवेश करता है, अन्यथा इस तरह के प्रावधान के अभाव में, एक शून्य होगा और अपने स्वयं के कारण से गवाह बॉक्स में प्रवेश करने वाले पक्ष का आचरण अनियमित हो जाएगा। आदेश XVI के नियम 21 में आने वाली "जहां तक वे लागू हैं" अभिव्यक्ति के उपयोग से इसकी पुष्टि की जाती है। "एक साधारण शब्दों में यह कहते हुए कि" केवल इसलिए कि एक प्रावधान में उनका उल्लेख है कि वे समान कार्य कर रहे हैं, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। निकाले गए भाग के अवलोकन से या अन्यथा साक्षी पेटी में एक गवाह और गवाह पेटी में एक गवाह के रूप में उपस्थित होने वाले पक्ष के आचरण के बीच अंतर के लिए कोई उचित कारण सामने नहीं आता है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह भेद दृढ़ आधार

पर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवाह बॉक्स में होने पर गवाह या मुकदमे के पक्ष द्वारा किया गया कार्य समान होता है। आदेश XVI नियम 21 में "जहाँ तक यह लागू है" वाक्यांश निष्पादित कार्य में अंतर का सुझाव नहीं देता है।

15. इसके बाद हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रावधानों-विशेष रूप से 137-138, 139, 154 और 155-पर विवादित निर्णय में निर्भरता पर विचार कर सकते हैं। तैयार संदर्भ के लिए, प्रावधानों को निम्नानुसार निकाला गया है:

धारा 137

मुख्य परीक्षा।— उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा गवाह की जाँच को उसका जाँच प्रमुख कहा जाएगा।

प्रतिपरीक्षा।— प्रतिकूल पक्ष द्वारा किसी गवाह की जाँच को उसकी प्रतिपरीक्षा कहा जाएगा।

पुनः परीक्षा।— जिस पक्ष ने उसे बुलाया था, उससे जिरह के बाद एक गवाह की जाँच को उसकी पुनः जाँच कहा जाएगा।

884

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

धारा 138

परीक्षाओं का क्रम।— गवाहों से पहले जाँच की जाएगी, फिर (यदि प्रतिकूल पक्ष ऐसा चाहता है) प्रतिपरीक्षा की जाएगी, फिर (यदि पक्ष उसे ऐसा बुलाना चाहता है) पुनः जाँच की जाएगी। जाँच और प्रतिपरीक्षा प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन प्रतिपरीक्षा को उन तथ्यों तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है जिन पर गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण पर गवाही दी थी।

पुनः परीक्षा का निर्देश।— पुनः परीक्षा को प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट मामलों के स्पष्टीकरण के लिए निर्देशित किया जाएगा और यदि नया मामला, न्यायालय की अनुमति से, पुनः परीक्षा में पेश किया जाता है, तो प्रतिकूल पक्ष उस मामले पर आगे प्रतिपरीक्षा कर सकता है।

धारा 139

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा।— दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति केवल इस तथ्य से गवाह नहीं बन जाता है कि वह इसे प्रस्तुत करता है, और जब तक उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है, तब तक उससे जिरह नहीं की जा सकती है।

धारा 154

पक्ष द्वारा अपने स्वयं के गवाह से प्रश्न।—

1 [(1)] न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर गवाह को बुलाने वाले व्यक्ति को कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है जिसे प्रतिकूल पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में रखा जा सकता है।

2 [(2) इस धारा की कोई भी बात उप-धारा (1) के तहत इस तरह से अनुमत व्यक्ति को ऐसे गवाह के साक्ष्य के किसी भी हिस्से पर भरोसा करने से वंचित नहीं करेगी।]

धारा 155

गवाह के श्रेय का महाभियोग।—एक गवाह के श्रेय पर निम्नलिखित तरीकों से प्रतिकूल पक्ष द्वारा, या अदालत की सहमति से, उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है:—

(1) उन व्यक्तियों के साक्ष्य से जो गवाही देते हैं कि वे, गवाह के बारे में अपनी जानकारी से, उसे श्रेय के अयोग्य मानते हैं; (2) इस प्रमाण से कि गवाह को रिश्त दी गई है, या उसने 885 [स्वीकार] किया है।

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

किसी रिश्त के लिए, या अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट प्रलोभन प्राप्त किया है;

(3) उसके साक्ष्य के किसी भी हिस्से के साथ असंगत पूर्व बयानों के प्रमाण से जिसका खंडन किया जा सकता है;

* * * * *

स्पष्टीकरण।— एक गवाह, जो किसी अन्य गवाह को श्रेय के अयोग्य घोषित करता है, अपने मुख्य परीक्षण पर, अपने विश्वास के कारण नहीं दे सकता है, लेकिन उससे जिरह में उसके कारण पूछे जा सकते हैं, और जो उत्तर वह देता है उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, हालांकि, यदि वे झूठे हैं, तो बाद में उस पर गलत सबूत देने का आरोप लगाया जा सकता है। 16. निर्भरता का जोर यह था कि यह अधिनियम निकाले गए प्रावधान में 'उन पक्षों द्वारा जो उसे बुलाते हैं' वाक्यांश का उपयोग करके, एक मुकदमे के पक्षकार और एक पक्षकार द्वारा गवाही देने के लिए बुलाए गए गवाह के बीच अंतर को पहचानता है। यह अंतर फिर से, इसके सामने, गलत धारणा प्रतीत होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के वाक्यांश या इसी तरह के अन्य वाक्यांशों का उपयोग इन प्रावधानों में किया गया है, हालांकि, यदि उच्च न्यायालय की धारणा को एक अभेद्यता दी जाती है, तो यह उसी अधिनियम के प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट टकराव का कारण बनेगा, यानी धारा 120 की तुलना में इसके ऊपर तुरंत पुनः प्रस्तुत की गई धाराएं, जिसमें कहा गया है कि, जैसा कि अब तक पुनः प्रस्तुत किया गया है, एक मुकदमे का पक्षकार, दूसरों के बीच, एक सक्षम गवाह होगा। यह भी देखा जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी पक्ष को खुद को गवाह के रूप में पेश करने से नहीं रोका गया है, और इसलिए केवल अर्थ के आधार पर इस मतभेद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धारा 137, 138 और 139 का अवलोकन, हमारे सुविचारित विचार में, विवादित निर्णय में बताए गए मतभेदों के पक्ष में नहीं है। मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा एक मुकदमे के सभी पहलू हैं जिनका लाभ एक पक्ष या विरोधी द्वारा लिया जा सकता है, दोनों पक्षों के लिए एक गवाह के

रूप में और पक्ष द्वारा बुलाए गए अन्य गवाहों के लिए भी। इसलिए, यह इस व्याख्या को नकारता है कि "वह पक्ष जो उसे बुलाता है" पक्ष के साथ-साथ अदालत के समक्ष साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्यों के लिए ऐसे पक्ष द्वारा बुलाए गए गवाह के बीच एक अंतर का सुझाव देता है।

17. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, कि संहिता के प्रावधान और साक्ष्य अधिनियम भी किसी पक्ष के बीच अंतर नहीं करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एक गवाह और एक गवाह के रूप में कार्य करने वाला मुकदमा अन्यथा ऐसे पक्ष द्वारा गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, अब हम इस सूची द्वारा प्रस्तुत अगले प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। 18. आदेश VII नियम 14 (4), आदेश VIII नियम 1-ए (4) (ए) और आदेश XIII नियम 1 (3) के विधायी इरादे पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजों का उत्पादन और/या "पक्षों के कब्जे और शक्ति में" अनिवार्य होने के रूप में निर्भर करता है और नोट किया कि ऐसा करने में विफलता, कुछ मामलों में धोखाधड़ी के समान हो सकती है। संदर्भ दिया गया था

एस. पी. चेंगिवराय नायडू बनाम जगन्नाथ **9** उसी की पुष्टि करने के लिए। यह था।

यह मत व्यक्त किया गया कि किसी भी उद्देश्य के लिए किसी पक्ष को जानबूझकर दस्तावेज रखने की अनुमति देने से मुकदमे में समान भूमिका निभाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उक्त प्रावधानों को भी कम कर दिया जाएगा क्योंकि भाषा स्पष्ट है-पक्षकारों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और जबकि, अपवाद-यानी, आदेश VIII नियम 1-ए (4) और आदेश XIII नियम 1 (3) केवल गवाहों पर लागू होता है न कि पक्षकारों पर। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालते हुए कि विधायी इरादा स्पष्ट और असंदिग्ध है, जैसा कि तीन बार मौजूद एक ही अंतर से प्रमाणित होता है।

19. इस पर, तैयार संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को निकालना उचित होगा।

आदेश **VII**

[14. दस्तावेज का उत्पादन जिस पर वादी मुकदमा करता है या निर्भर करता है।—

(1) जहां कोई वादी किसी दस्तावेज पर मुकदमा करता है या अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति वाले दस्तावेज पर भरोसा करता है, तो वह ऐसे दस्तावेजों को एक सूची में दर्ज करेगा, और जब उसके द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तो उसे अदालत में पेश करेगा और साथ ही दस्तावेज और उसकी एक प्रति, जिसे शिकायत के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वह जहां भी संभव हो, बताएगा कि यह किसके अधिकार या शक्ति में है।

[(3) एक दस्तावेज जिसे वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या जिसे वाद में जोड़ने या संलग्न करने के लिए सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन तदनुसार प्रस्तुत या दर्ज नहीं किया जाना चाहिए,

9 (1994) 1 एस. सी. सी. 1 (2-न्यायाधीश पीठ)

887

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

न्यायालय की अनुमति के बिना, वाद की सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा।]

(4) इस नियम में कुछ भी वादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर लागू नहीं होगा, या केवल उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए गवाह को सौंपा जाएगा।]

आदेश **VIII 1-ए**। उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना प्रतिवादी का कर्तव्य है जिन पर उसके द्वारा राहत का दावा किया जाता है या उन पर भरोसा किया जाता है।—**(1)** जहाँ प्रतिवादी

अपना बचाव किसी दस्तावेज के आधार पर या अपने कब्जे या शक्ति में किसी दस्तावेज पर निर्भर करते हुए, अपने बचाव या सेट-ऑफ या काउंटर-क्लैम के दावे के समर्थन में, वह एक सूची में ऐसा दस्तावेज दर्ज करेगा, और जब उसके द्वारा लिखित बयान प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे अदालत में पेश करेगा और साथ ही, दस्तावेज और उसकी एक प्रति, लिखित बयान के साथ प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे या शक्ति में नहीं है, वह जहां भी संभव हो, बताएगा कि यह किसके अधिकार या शक्ति में है।

[(3) एक दस्तावेज जिसे इस नियम के तहत प्रतिवादी द्वारा अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से पेश नहीं किया जाता है, अदालत की अनुमति के बिना, मुकदमे की सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा।] (4) इस नियम में कुछ भी दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा -

(क) वादी के गवाहों की जिरह के लिए पेश किया गया, या (ख) केवल उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए एक गवाह को सौंप दिया गया।

क्रम **XIII**

1. समझौते पर या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेज

मुद्दे।—(1) पक्षकार या उनके वकील मुद्दों के निपटारे पर या उससे पहले, मूल रूप से सभी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करेंगे, जहां शिकायत या लिखित बयान के साथ उनकी प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। (2) न्यायालय इस प्रकार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करेगा:

बशर्ते कि उनके साथ ऐसी सटीक सूची हो जो उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तैयार की गई हो।

888

[2023] 15 एस सी आर।

(3) उपनियम (1) में कुछ भी दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा -

(क) दूसरे पक्ष के गवाहों की जिरह के लिए पेश किया गया; या

(ख) केवल अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए एक गवाह को सौंप दिया गया।

20. मुकदमा दायर करने वाले पक्ष और गवाह के बीच मतभेद, जैसा कि हमारी पिछली चर्चा से स्पष्ट किया गया है, कानून के अनुरूप नहीं है। जैसा कि अब तक देखा गया है, गवाह शब्द मुकदमे के पक्षकार यानी वादी या प्रतिवादी को बाहर नहीं करता है, जो स्वयं साक्ष्य दर्ज करने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं। जहां तक धोखाधड़ी के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की बात है, तो यह सच हो सकता है कि जिन दस्तावेजों पर पक्षकार भरोसा करते हैं, उन्हें प्रस्तुत न करना मुकदमे की प्रगति में बाधा डाल सकता है-और किसी मामले में, शायद धोखाधड़ी हो सकती है-लेकिन हम उन संभावनाओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं, यदि कोई हो। हालाँकि, इन दोनों स्थितियों में किसी दस्तावेज को जानबूझकर रोकना पूरी तरह से अलग है। एक दस्तावेज को रोकना है जिस पर मामला निर्भर करता है, या आई. एस. को उचित रूप से तय करने के लिए आवश्यक है-और दूसरा पूरी तरह से प्रभावी प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से है। दोनों को एक ही आधार पर नहीं रखा जा सकता है, बाद वाला निश्चित रूप से धोखाधड़ी के बराबर नहीं है।

21. सी. पी. सी. का अवलोकन अन्यथा भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है, क्योंकि यह किसी भी तरह से ऐसी स्थिति को संबोधित नहीं करता है जहां एक मुकदमे के पक्ष को गवाह बॉक्स में प्रवेश करना है, और ऐसी घटना के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, जो इस गवाही को अन्य गवाहों द्वारा दी गई गवाही से अलग करती है।

22. यह तर्क कि "वादी के गवाहों" और "प्रतिवादी के गवाहों" की शाब्दिक व्याख्या मुकदमे के पक्षकारों और उनके कहने पर पेश किए गए गवाह के बीच एक स्पष्ट अंतर का सुझाव देती है-इसे अनिवार्य रूप से एक वादी या प्रतिवादी के रूप में उनके अपने कहने पर अदालत में साक्ष्य दर्ज करने के लिए अस्वीकार किया जाना चाहिए-और इसलिए, जैसा कि हमारे सामने आरोपित निर्णय करता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि आदेश VIII नियम 1-ए (3) के अनुसार, एक गवाह की स्मृति का सामना करने या जॉगिंग करने के लिए एक दस्तावेज पेश करने की अनुमति है, लेकिन यह अनुमति नहीं होगी जैसा कि एक मुकदमे में एक पक्ष को लागू किया जाता है, एक कृत्रिम व्यक्तिगत अंतर पैदा करेगा, जो अन्यथा कानून के किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

889

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

23. हम देखते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 1984 में मिस टी. एम. मोहना बनाम वी. कन्नन 10 मामले में कहा था कि जिरह के उद्देश्य से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का लाभ केवल एक पक्ष के

गवाह के लिए लिया जा सकता है, न कि स्वयं पक्षकार के लिए, यह एक असमर्थनीय तर्क है। यह भी कि "वादी के गवाह" न केवल वादी के लिए बल्कि स्वयं वादी के लिए भी गवाह होंगे।

24. इस प्रस्ताव को गुजरात ने संदर्भित किया और उस पर सहमति व्यक्त की।

उच्च न्यायालय ने अमित एम. पाठकजी, वरिष्ठ प्रबंधक (मैकेनिकल) और अन्न बनाम.

भवनाबेन अमितकुमार पाठकजी 11 वर्ष 2007 में, जो विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 के बाद है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि विवादित निर्णय में खंड पीठ टी. एम. मोहना (ऊपर) में दिए गए निर्णय को वर्तमान संहिता के साथ जोड़ती है क्योंकि जिस प्रावधान की वह बात करती है वह संहिता में नहीं मिलता है।

25. वास्तव में, यदि प्रत्यर्थी द्वारा दी गई शाब्दिक व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो बनाया गया अंतर कानून को व्यर्थ कर देगा-एक अलग धारणा को जन्म देगा जिसकी संहिता द्वारा परिकल्पना नहीं की गई है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कानून की अन्य अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अवधारणाओं जैसे कि एक इच्छुक गवाह (जो दीवानी मुकदमों में भी एक मान्यता प्राप्त अवधारणा है) को मिटा देगा, क्योंकि एक पक्ष और एक गवाह के बीच अलग-अलग त्रुटियों में से एक मामले के परिणाम में रुचि की डिग्री पर है, यह कहते हुए कि एक पक्ष स्पष्ट रूप से रुचि रखता है, जबकि एक गवाह नहीं है।¹¹³

26. हाथ में मुद्दे को समाप्त करने के लिए-दो उद्देश्यों में से किसी एक के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता यानी गवाहों की प्रतिपरीक्षा और/या स्मृति को ताज़ा करना मुकदमे के पक्षों के लिए भी अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, इन दस्तावेजों की सहायता से किसी भी पक्ष से सक्रिय रूप से सवाल पूछने और जवाब प्राप्त करने से वंचित होने से दूसरे को अपने दावे की पूरी सच्चाई को सामने रखने में सक्षम नहीं होने का खतरा होगा-जिससे उक्त कार्यवाही से घातक रूप से समझौता होगा। इसलिए, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है कि कानून साक्ष्य के उद्देश्यों के लिए मुकदमे के पक्षकार और गवाह के बीच अंतर करता है।

10 1984 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 145 11 2007 एस. सी. ऑनलाइन गुज 78.

12 सदयप्पन बनाम राज्य, (2019) 9 एस. सी. सी. 257 (2-न्यायाधीश पीठ) 13 आक्षेपित निर्णय 890 का पैरा 23 देखें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

27. पुरुषोत्तम (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा था कि निचली अदालत के लिए मुकदमे में पक्षकार का सामना करने के लिए दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति देना खुला नहीं है और यह एक अलग तरीका होगा यदि सामना किया जा रहा व्यक्ति केवल मुकदमे का गवाह हो। जबकि विनायक देसाई (ऊपर) अनिवार्य रूप से इस बिंदु पर सहमत हैं, बाद वाले के यह कहने के साथ अंतर पैदा होता है कि एक पक्ष और एक गवाह को साक्ष्य दर्ज करते समय दोनों के एक ही आधार पर होने के उद्देश्यों के लिए समान किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों

निर्णय अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कं. लिमिटेड (उपरोक्त) के साथ भिन्न होते हैं।

जिसमें कहा गया है कि प्रतिपरीक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की उन्नत प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।²⁸ यह तय किया गया कानून है कि जो अनुरोध नहीं किया गया है, उस पर तर्क नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि निर्णय के उद्देश्यों के लिए, दूसरे पक्ष के लिए मामले की रूपरेखा को जानना आवश्यक है जिसे पूरा करना आवश्यक है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी विशेष तर्क का समर्थन करने की आवश्यकता में ऐसा करना शामिल नहीं है। हम राम सरूप गुप्ता बनाम बिशुन नारायण इंटर कॉलेज 14 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इसे निम्नानुसार मनाया गया था:

“6. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभिवचन के अभाव में, पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी समान रूप से तय किया गया है कि किसी भी पक्ष को अपनी दलील से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और पक्ष द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी आवश्यक और भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। अभिवचन का उद्देश्य और उद्देश्य विरोधी पक्ष को यह जानने में सक्षम बनाना है कि उसे किस मामले को पूरा करना है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह आवश्यक है कि पक्ष को आवश्यक भौतिक तथ्यों का निपटारा करना चाहिए ताकि दूसरा पक्ष आश्चर्यचकित न हो। हालाँकि दलीलों को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए; बाल-विभाजन तकनीकों पर न्याय को हराने के लिए कोई पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। कभी-कभी, अभिवचनों को उन शब्दों में व्यक्त किया जाता है जो कानून की सख्त व्याख्या के अनुसार स्पष्ट रूप से एक मामले को नहीं बना सकते हैं। ऐसे मामले में अदालत को प्रश्न का निर्धारण करने के लिए अभिवचनों के सार का पता लगाना चाहिए। प्रपत्र पर अनुचित जोर देना वांछनीय नहीं है, इसके बजाय, अभिवचनों के सार पर विचार किया जाना चाहिए। जब भी अभिवचन की कमी के बारे में सवाल उठाया जाता है तो जांच अभिवचन के रूप के बारे में इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए।

14 (1987) 2 एस. सी. सी. 555 (2-न्यायाधीश पीठ)

891

मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम निलोफर और ए. एन. आर.

इसके बजाय, अदालत को यह पता लगाना चाहिए कि क्या पक्षकारों को मामले और उन मुद्दों के बारे में पता था जिन पर वे मुकदमे में गए थे। एक बार जब यह पाया जाता है कि अभिवचनों में अवज्ञा के बावजूद, पक्षकार मामले को जानते थे और वे उस स्थिति में साक्ष्य प्रस्तुत करके उन मुद्दों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़े, तो किसी पक्षकार के लिए अपील में अभिवचनों के न होने का सवाल उठाने के लिए खुला नहीं होगा।”

29. हम उद्धव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया **15** का भी उल्लेख कर सकते हैं।

जिसमें दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की: “25..... यदि बचाव की याचिका या आधार “ऐसे तथ्य के मुद्दों को उठाता है जो वाद से उत्पन्न नहीं होते हैं”, तो ऐसी याचिका या आधार से

वादी के आश्चर्यचकित होने की संभावना है, और इसलिए अनुरोध करने की आवश्यकता है। यदि बचाव की याचिका या आधार वाद में जो आरोप लगाया गया है या स्वीकार किया गया है, उससे उत्पन्न होने वाला कोई मुद्दा उठाता है, या अन्यथा वाद से ही स्पष्ट होता है, तो वादी के लिए पूर्वाग्रह या आश्चर्य का कोई सवाल नहीं उठता है। नियम में कुछ भी प्रतिवादी को इस तरह के आधार का अनुरोध करने के लिए मजबूर नहीं करता है, न ही उसे मामले के बाद के चरण में इसे स्थापित करने से रोकता है, विशेष रूप से जब यह साक्ष्य पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वाद के निर्माण को चालू करने के लिए कानून का एक शुद्ध सवाल उठाता है।”

30. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि अदालतों को इस विषय पर गौर करने की आवश्यकता है, और इसलिए, इस अदालत के सुविचारित दृष्टिकोण में, दस्तावेजों को पेश करने के संदर्भ में, जब तक कि दस्तावेज प्रभावी प्रतिपरीक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है या स्टैंड पर गवाह की स्मृति को पूरी तरह से अलग नहीं किया जाता है या किए गए अभिवचनों के लिए विदेशी नहीं है, तब तक इस स्थापित प्रस्ताव के सामने भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

31. दीवानी मुकदमे के प्रतिपरीक्षा भाग को छोड़कर और किसी अन्य बिंदु पर इस तरह के टकराव की अनुमति नहीं दी जाएगी, बिना इस तरह के दस्तावेज के अदालत के समक्ष शिकायत या लिखित बयान के साथ। इस उद्देश्य के लिए, आदेश VII नियम 14 (4) का संदर्भ दिया जाना चाहिए (यह नियम वादी को अनिवार्य रूप से अपनी शिकायत में सूचीबद्ध करने और अदालत के समक्ष उन दस्तावेजों को पेश करने की बात करता है जिन पर वे अपने दावे के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं)। उप-नियम 4 प्रस्तुत किए गए इस दायित्व दस्तावेजों से छूट देता है।

15 (1977) 1 एससीसी 511 892

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जिरह के सीमित उद्देश्य के लिए या किसी गवाह की याद में काम करने के लिए), आदेश VIII नियम 1 ए (4) (ए) (यह नियम प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से अपने लिखित बयान में सूचीबद्ध करने और अदालत के समक्ष उन दस्तावेजों को पेश करने की बात करता है, जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं, अपने दावे के बचाव में)। उप-नियम 4 प्रतिपरीक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए या किसी गवाह की स्मृति में काम करने के लिए प्रस्तुत किए गए इस दायित्व दस्तावेजों से छूट देता है) और आदेश XIII नियम 1 (3) (यह नियम किसी भी पक्ष या उनके वकीलों के बारे में बताता है कि वे मुकदमे में मुद्दों के निपटारे के बाद अनिवार्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हैं, जिस पर निर्भरता रखी जाती है)। उप-नियम 3 प्रतिपरीक्षा के सीमित उद्देश्य के लिए या एक गवाह की स्मृति को जग करने के लिए प्रस्तुत किए गए इस दायित्व दस्तावेजों से छूट देता है), जिनमें से तीनों, क्रमशः वादी, प्रतिवादी और सामान्य रूप से दस्तावेजों के उत्पादन से निपटने के दौरान, प्रतिपरीक्षा या गवाह की स्मृति को जग करने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को छूट देते हैं।

32. उपरोक्त चर्चा और इस न्यायालय के समक्ष पहले प्रश्न के नकारात्मक उत्तर के आलोक में, जिसका अर्थ है कि गवाह और गवाह के रूप में मुकदमे के पक्षकार के बीच कोई अंतर नहीं है-इस अपील में दूसरा मुद्दा, ऊपर देखे गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे के पक्षकार और गवाह, जैसा भी मामला हो, दोनों के लिए दस्तावेजों को पेश करना, प्रतिपरीक्षा के चरण में, कानून के भीतर अनुमत है।

33. तत्काल सूची में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है। अपील की अनुमति है।

34. ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, 2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 7717 में डिवीजन बेंच के फैसले का शीर्षक मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम श्रीमती। 2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6931 के साथ निलोफर का शीर्षक सौ है। कांताबाई और अन्न. वी.बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सुधीर एंड ओआरएस दिनांक 9 फरवरी 2021 को खारिज कर दिया गया है। 35. मूल याचिका उच्च न्यायालय को बहाल कर दी गई है ताकि इस पर कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है।

36. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है। संबंधित लागतों को वहन करने के लिए दल।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन